



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55268

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3914/2026

गोलू बाल्मीकि

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: सुधीर राणा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. दि० 10.03.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आवेदन की सूचना विपक्षी संख्या 4/सूचनादाता को व्यक्तिशः दी जा चुकी है। किन्तु विपक्षी संख्या 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनन्द को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
3. यह जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 223/2024, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 61(2), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना- लालौली, जिला- फतेहपुर में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। घटना दि० 19.10.2024 को घटित होना कथित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 21.10.2024 को दर्ज कराई गई। यह विलम्ब अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। यह तर्क दिया गया कि पीड़िता वयस्क है। पीड़िता की आयु विद्यालय के अभिलेखों में उसके माता-पिता द्वारा जीवन में लाभ दिलाने के उद्देश्य से गलत तरीके से दर्ज कराई गई थी। विद्यालय के अभिलेखों में पीड़िता की आयु सम्बन्धी प्रविष्टि का कोई विधिक आधार नहीं है। आवेदक का नाम पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दिये गये कथनों में प्रकट किया गया। पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दिये गये कथनों पर निर्भरता रखते हुए यह तर्क दिया गया कि पीड़िता स्वेच्छा से आवेदक के साथ दिल्ली गई थी और वहाँ 45 दिन तक रही थी। पीड़िता सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित रही किन्तु उसने कोई प्रतिरोध या शोर नहीं मचाया। पीड़िता के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि वह सहमति पक्ष थी। इस अवस्था में आवेदक को अपराध से जोड़ने का कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक दि० 22.07.2025 से कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह उक्त स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया किन्तु अभिलेख से उपरोक्त तर्कों का सन्तोषजनक खण्डन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दिये गये कथनों के अनुसार, पीड़िता स्वेच्छा से आवेदक के साथ दिल्ली गई थी और वहाँ 45 दिन तक रही। पीड़िता सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित रही किन्तु उसने कोई प्रतिरोध या शोर नहीं मचाया। पीड़िता के आचरण से यह स्पष्ट होता है कि वह सहमति पक्ष थी। इसके अतिरिक्त, इस अवस्था में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को अपराध से जोड़ने का कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह सात माह से अधिक अवधि से कारागार में बन्द है तथा आरोप-पत्र दाखिल हो जाने के उपरान्त शीघ्र विचारण समाप्ति की कोई सम्भावना नहीं है, विशेषतः जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका व्यक्त नहीं की गई कि यदि आवेदक जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा विचारण में विलम्ब करेगा अथवा साक्षियों को धमकायेगा; अतएव मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे मत में आवेदक जमानत पर मुक्त होने का अधिकारी है।

7. आवेदक **गोलू बाल्मीकि** को उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त होने के आरोप में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; एवं
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"